

बिहार सरकार,

कृषि विभाग

पत्र संख्या-03 / कृ०बजट-आवंटन-23/2015-274(भावंटन) / कृ०, पटना, दिनांक 21-03-2016
प्रेषक,

प्रभु राम,

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Mail/Fax

सेवा में,

सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, समस्तीपुर/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी समस्तीपुर।

विषय :

योजनाओं की प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सुत्रण, प्रवेक्षण एवं अनुश्रवन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 582.12 लाख रु० की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए 84.40740 लाख रु० (चौरासी लाख चालीस हजार सात सौ चालीस रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप शेष व्यय हेतु ₹76,942 (छिह्तर हजार नौ सौ बेयालीस रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

प्रसंग:

सहायक निदेशक पौधा संरक्षण समस्तीपुर का पत्रांक-10 दिनांक-25.01.2016/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी समस्तीपुर का पत्रांक-58 दिनांक-23.02.2015।

महाशय :

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3001 दिनांक-17.06.2015 द्वारा योजनाओं की प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सुत्रण, प्रवेक्षण एवं अनुश्रवन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 582.12 लाख रु० की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए 84.40740 लाख रु० (चौरासी लाख चालीस हजार सात सौ चालीस रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹76,942 (छिह्तर हजार नौ सौ बेयालीस रु०) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	पूर्व में विभागीय पत्रांक-50 (आवंटन) दिनांक-25.06.2015 द्वारा आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक पौधा सं० समस्तीपुर	57420	18949	38471	57420
2	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी समस्तीपुर	57420	18949	38471	57420
योग-		114840	37898	76942	114840

2. उपरोक्त ₹76,942 (छिह्तर हजार नौ सौ बेयालीस रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0106-इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एप्ड ट्रेनिंग सर्पेट, नई योजना, विपत्र कोड- P2401007890106, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5022 विषयशीर्ष-1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि० (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(रुल्ला)



7 व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

Alp
(प्रभ समृद्धि) १६
निदेशक प्रशासन संस्था-अधर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- २७४(आवंटन)

/क०, पटना दिनांक २१-०३-, २०१६

प्रतिलिपि- महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Alp
निदेशक प्रशासन संस्था-अधर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- २७४(आवंटन)

/क०, पटना दिनांक- २१-०३-, २०१६

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/संबंधित प्रमंडलीय, आयुक्त/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी/उप निदेशक (शाष्य), सूचना, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/प्रशास्त्र पदाधिकारी, योजना शाखा, (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शाष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Alp
निदेशक प्रशासन-संस्था-अधर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।